तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 21/2025 बउनवान गोपालसिंह बनाम तिलोकसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 11.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री वेद नृप राणजीओत।
2. रेस्पों. संख्या 03 की तरफ से अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़।
3. रेस्पों. संख्या 07 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध हैं। अन्य कोई रिकार्ड शेष नहीं है। इस हेतु बहस सुने जाने का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट्स की पैतृक संयुक्त एवं कब्जा–काश्त शुदा आराजी है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण/ अपीलांट के पैतृक संयुक्त व कब्जा–काश्त की भूमि मौजा रणधा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 324 रकबा 10 बीगा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 325 रकबा 24 बीगा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 230 रकबा 1 बीगा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 290 रकबा 33 बीगा 13 बिस्वा कुल रकबा 70 बिगा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 288 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 289 रकबा 5 बिस्वा कुल 9 बिस्वा सम्पूर्ण खसरान का कुल रकबा 70 बीगा 19 बिस्वा भूमि आई हुई है। जो प्रार्थीगण के दादा रणजीतसिंह के नाम वक्त सेटलमेंट खातेदारी में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता सुजानसिंह का 1/3 हिस्सा था लेकिन प्रार्थीगण के पिता आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं जिस कारण वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा संख्या 324, 325, 230, 290, 288, 289 में प्रार्थीगण का अब 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से बनता है। खसरा संख्या 324 व 325 प्रार्थीगण का पैतृक खेत था जिसमें प्रार्थीगण के पिता सुजानसिंह द्वारा प्रार्थीगण के प्रत्येक के 1/15 – 1/15 हिस्से से अधिक का बेचान गलत तरीके से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 25.05.1999 को विप्रार्थी/रेस्पों. संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया जिसके तहत प्रार्थीगण के पिता सुजानसिंह द्वारा अपने 1/15 हिस्से से अधिक भूमि जिस पर प्रार्थीगण का अधिकार था का बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में हिस्से से अधिक का बेचान पैतृक आराजी होने से शून्य व निष्प्रभावी है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी अपने हक व हिस्से अनुसार आज भी कब्जा–काश्त अपीलांट/प्रार्थी का है। रेस्पों. उक्त गलत बेचान के आधार पर अपीलांट के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करते आ रहे हैं। जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का प्रार्थीगण को हक अधिकार है। वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने वैध हिस्से से ज्यादा का बेचान कर दिया है जिसमें अपीलांट का हक–हिस्सा निहित होने से उक्त आराजी को बेचान होने से रोकने हेतु स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं। रेस्पों. प्रभावशाली पक्षकार है जिनके द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में नेखमबंदी का आदेश पारित करवाया गया है अपीलाधीन प्रकरण के विचारण में रहते रेस्पों. द्वारा पूर्व में नेखमबंदी का ओदश दिनांक 26.05.2025 जारी करवाया गया था जिसे बाद में अपीलाधीन आदेश के जरिये हस्तगत प्रकरण का विधि विरूद्ध तरीके से निस्तारण करवाकर पुनः संशोधित नेखमबंदी का आदेश दिनांक 04.06.2025 जारी करवाया गया है जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होते है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के कारण से अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी तामील रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के बाद लम्बे अंतराल तक प्रकरण तलबी में चलता रहा। जिस हेतु वकील प्रार्थी की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.12.2021 को प्रस्तुत किया गया था जो लगातार तकरीबन साढे तीन वर्ष तक तामील के इन्तजार में चलता रहा जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा लगातार पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद तलबी पेश नहीं की गई। वकील प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास ही नहीं किये गये जिससे प्रार्थी वकील की उदासीनता प्रदर्शित होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उक्त उदासीन रवैया के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रश्नगत विक्रय पत्रों को चुनौति नहीं दी गई है। जहां तक नेखमबंदी का प्रश्न है तो उसके संबंध में निवेदन है कि नेखमबंदी से किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होते है, क्योंकि पक्षकारों के कब्जा–कश्त अनुसार नेखमबंदी की जाती है। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. हस्तगत प्रकरण का संयुक्त रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश विना किसी कारण के जारी नहीं किया जा सकता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली व वकील रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। समय–समय पर कई बेचान कितने हिस्सों तक किये गये हैं जो साक्ष्य व सबूत के आधार पर मूल वाद में ही तय हो सकता है। हाजा न्यायालय की राय में रेकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आवेदन लगभग साढे तीन वर्ष तक बिना तामील रिपोर्ट पेश किये चलता रहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी उदासीन रवैया रखते हुए तलबी प्रस्तुत नहीं की गई जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जहां तक नेखमबंदी का प्रश्न है तो नेखमबंदी पक्षकारान के कब्जा–काश्त व तरमीम अनुसार की जाती है जिससे प्रथम दृष्टया पक्षकारान का हित प्रभावित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाज़ा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

11/9/2024

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर